रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-03082023-247827
CG-HR-E-03082023-247827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
No. 538] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरूग्राम, 27 जुलाई, 2023

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023

क्र.सं. जेईआरसी 8/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 91(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2009 और इसके प्रथम संशोधन विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:**

(i) इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2 में संशोधन

परिभाषाएं

(घ) के बाद उप-खंड की प्रविष्टि

(ङ.) **परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति** को इसके बाद सीईसी के रूप में संदर्भित किया गया है जिसका अर्थ विनियम 18 के तहत गठित समिति है।

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

मौजूदा विनियम 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"3. कार्यक्षेत्र

(1) परामर्शियों को निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात्:-

(क) प्रासंगिकता के विशिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना और आयोग की सहायता करना; या

(ख) सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना, डेटा का विश्लेषण करना, बेंचमार्क विकसित करना, या कोई अन्य समान उद्देश्य; या

(ग) ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती है जो या तो आयोग के भीतर उपलब्ध नहीं हैं या, आयोग की राय में, परामर्शी की नियुक्ति गुणवत्ता, समय या किसी अन्य के संदर्भ में कार्य को पूरा करने का अधिक प्रभावशाली और कुशल तरीका होगा; या

(घ) आयोग को उसके कार्यों को करने में सहायता करना, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि आयोग में काम की मात्रा में वृद्धि हुई है या विभिन्न बाधाओं के कारण नियमित पद नहीं भरे जा सके हैं।"

4. संशोधन विनियमों के विनियम 7 में संशोधन

संशोधन विनियम, 2015 का विनियम 7ख निरस्त किया जाता है।

5. मूल विनियमों के विनियम 8 में संशोधन:-

मूल विनियमों के विनियम 8 से संलग्न तालिका को निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

वर्ग	**अनुभव**
कनिष्ठ परामर्शी/ रिसर्च एसोसिएट	शून्य से तीन वर्ष तक
परामर्शी/ अनुसंधान अधिकारी	तीन से दस वर्ष तक
वरिष्ठ परामर्शी/ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	दस से पन्द्रह वर्ष तक
सलाहकार/ प्रधान अनुसंधान अधिकारी*	पन्द्रह वर्ष और उससे अधिक

***** इस श्रेणी में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

6. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 10 के शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

'10. संस्थागत परामर्शियों की नियुक्ति

7. प्रथम संशोधन विनियमों के विनियम 18ख में संशोधन

प्रथम संशोधन विनियम, 2015 के विनियम 18ख को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

<u>विनियम 18ख परामर्शी का चयन</u>

(1) आयोग के सचिव आयोग की वेबसाइट और दो प्रमुख समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित करके और जहां तक संभव हो, इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि देकर आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(2) नोटिस प्रकाशित करने से पहले, सचिव नियमित पदों के विरुद्ध भर्ती को नियंत्रित करने वाले आयोग के विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों या परिकल्पित कर्तव्यों/ कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं की पहचान करेगा।

(3) परामर्शी को शैक्षणिक योग्यता, वर्षों की संख्या में कुल अनुभव, डोमेन विशेषज्ञता और प्रदेय उत्पाद के लिए आवश्यक ज्ञान के अनुरूप निम्नलिखित श्रेणियों में उचित कार्यात्मक पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा:-

वर्ग	**अनुभव (पूर्ण वर्षों में)**	**योग्यता**
कनिष्ठ परामर्शी/ रिसर्च एसोसिएट	शून्य से तीन वर्ष तक	जैसा कि नोटिस जारी करते समय कार्य की आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लिया जाए।
परामर्शी/ अनुसंधान अधिकारी	तीन से दस वर्ष तक	
वरिष्ठ परामर्शी/ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	दस से पन्द्रह वर्ष तक	
सलाहकार/ प्रधान अनुसंधान अधिकारी*	पन्द्रह वर्ष और उससे अधिक	

*इस श्रेणी में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

(4) आयोग सीईसी का गठन करेगा जिसमें सचिव, निदेशक शामिल होंगे, जिसमें उस कार्य क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले अतिरिक्त सदस्य को शामिल करने का विकल्प होगा जिसके लिए परामर्श सेवाएं प्राप्त की जानी हैं। ऐसे मामले में जहां परामर्शी की नियुक्ति का प्रस्ताव **वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी** या **प्रधान अनुसंधान अधिकारी** के पद के बराबर है, वहां सीईसी का नेतृत्व आयोग के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। सीईसी उम्मीदवारों के साथ संवाद करेगा और आयोग की मंजूरी के लिए ऐसे परामर्शियों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के साथ-साथ परामर्शी के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगा।

(5) स्टाफ परामर्शी को शुरुआत में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि, उम्मीदवार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, प्रत्येक अवसर पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो कुल मिलाकर पाँच वर्ष तक सीमित है। योग्य मामलों में, पिछले वर्ष के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आयोग की मंजूरी से शुल्क में 10% तक की वार्षिक वृद्धि दी जा सकती है।

8. अनुसूची में संशोधन (व्यक्तिगत परामर्शियों के लिए शुल्क)

अनुसूची के साथ संलग्न तालिका को निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(क) दैनिक आधार पर नियुक्ति के मामले में

वर्ग	**प्रति मानव दिवस अधिकतम शुल्क***
कनिष्ठ परामर्शी/ रिसर्च एसोसिएट	रु. 2500/-
परामर्शी/ अनुसंधान अधिकारी	रु. 3500/-
वरिष्ठ परामर्शी/ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	रु. 6000/-
सलाहकार/ प्रधान अनुसंधान अधिकारी	रु. 10000/-

(ख) मासिक आधार पर नियुक्ति के मामले में

वर्ग	**मासिक शुल्क सीमा*** **(₹ में)**
रिसर्च एसोसिएट/ कनिष्ठ परामर्शी	40000/- से 55000/-
अनुसंधान अधिकारी/ परामर्शी	55,000/- से 90,000/-
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/ वरिष्ठ परामर्शी	80,000/- से 1,25,000/-
प्रधान अनुसंधान अधिकारी/ सलाहकार	1,20,000/- से 2,00,000/-

*करों को छोड़कर, यदि लागू हो।

एस. डी. शर्मा, सचिव (प्रभारी), जेईआरसी

[विज्ञापन-III/4/असा./322/2023-24]

टिप्पणी:- (1) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2009 को दिनांक 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III - खंड 4, सं. 47 में प्रकाशित किया गया था।

(2) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति), (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 को दिनांक 22 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III खंड 4, सं. 23 में प्रकाशित किया गया था।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 27th July, 2023

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES (APPOINTMENT OF CONSULTANTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. JERC 8/2009.—In exercise of powers conferred under Section 91 (4) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009 and its First Amendment Regulations, 2015.

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2023.

(ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Amendment in Regulation 2

Definitions

Insertion of sub-clause after (d)

(e) **Consultancy Evaluation Committee** hereinafter referred to CEC means the Committee constituted under Regulation 18.

3. Amendment in Regulation 3 of the Principal Regulations

Existing Regulation 3 shall be replaced with the following: -

"3. Scope of Work

(1) Consultants may be engaged for all or any of the following purposes, namely:-

(a) providing expert advice on specific issues of relevance and assist the Commission; or

(b) conducting study of best practices, analyzing data, developing bench marks, or any other similar purposes; or

(c) performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, time or for any other consideration; or

(d) assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints.''

4. Amendment in Regulation 7 of amendment Regulations

Regulation 7 B of Amendment Regulations,2015 is repealed.

5. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations: -

The table appended to the Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted with the following table: -

Category	**Experience**
Junior Consultants/Research Associate	Zero to upto Three Years
Consultants/Research Officer	Three to upto Ten Years
Senior Consultants/Senior Research Officer	Ten to upto Fifteen Years
Advisors/Principal Research Officer*	Fifteen Years and above

*****There shall be no upper age limit in this category

6. Amendment in Regulation 10 of the Principal Regulations

Heading of Regulation 10 of principal regulation shall be substituted with the following: -

'10. Engagement of Institutional Consultants'

7. Amendment in Regulation 18 B of First Amendment Regulations

Regulation 18 B of First Amendment regulations, 2015 shall be substituted with the following:-

Regulation 18 B Selection of Consultant

(1) The Secretary of the Commission shall invite applications by publishing notice on the Commission's website and in two leading newspapers and by giving, as far as possible, a period of minimum two weeks for making applications by interested persons.

(2) Before publishing the notice, the Secretary shall identify the qualification and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission's Regulations governing the recruitment against regular posts or expertise required towards performing the duties/task envisaged.

(3) The Consultant shall be engaged with appropriate functional designation, in the following categories, commensurate with the academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables:-

Category	**Experience (in completed years)**	**Qualifications**
Junior Consultants/Research Associate	Zero to upto three years	As may be decided at the time of issue of notice, commensurate with the requirement of work.
Consultants/Research Officer	Three to upto Ten years	

Senior Consultants/Senior Research Officer	Ten to upto Fifteen years	
Advisors/Principal Research Officer*	Fifteen Years and above	

*There shall be no upper age limit in this category

(4) The Commission shall constitute the CEC comprising the Secretary, Director(s) with an option to include additional member having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained. In case where the Consultant proposed to be engaged is equivalent to the post of **Senior Research Officer or Principal Research Officer**, the CEC shall be headed by a Member of the Commission. The CEC shall interact with the candidates and recommend names of suitable persons for engagement as consultants along with fee to be paid to such consultants for approval of the Commission.

(5) The Staff Consultant shall be engaged initially for a period of two years. The period of engagement may be extended, based on satisfactory performance of the candidate, by a period up to one year, on each occasion, limited to a total period of five years. In deserving cases, an annual escalation upto 10% on the fee may be given with the approval of the Commission based on the performance during the preceding year."

8. Amendment in Schedule (Fee for Individual Consultants)

The table appended to Schedule is substituted with the following table:-

(a) In case of hiring on daily basis

Category	**Maximum Fee per man-day***
Junior Consultants/Research Associate	Rs. 2500/-
Consultants/Research Officer	Rs. 3500/-
Senior Consultants/Senior Research Officer	Rs. 6000/-
Advisors/Principal Research Officer	Rs. 10000/-

(b) In case of hiring on monthly basis

Category	**Monthly Fee Range*** **(In ₹)**
Research Associate/Junior Consultants	40000/- to 55000/-
Research Officer/Consultants	55,000/- to 90,000/-
Senior Research Officer/Senior Consultant	80,000/- to 1,25,000/-
Principal Research Officer/Advisors	1,20,000/- to 2,00,000/-

*excluding taxes, if applicable.

S.D. SHARMA, Secy. (I/c), JERC

[ADVT.-III/4/Exty./322/2023-24]

Note: - (1) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009 were published in Part III- Section 4, No.47 of the Gazette of India (Extraordinary) dated February 15, 2010.

(2) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants), (First Amendment) Regulations, 2015 were published in Part III- Section 4, No. 23 of the Gazette of India (Extraordinary) dated January 22, 2015

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.03 20:46:11 +05'30'